

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जून 2023—ज्येष्ठ 26, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मई 2023

क्र. एफ 5-24-2021-एक-(1).—माननीय, न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर का ओ. एस. डॉ.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-757-(दो-1-22-2021), दिनांक 2 फरवरी 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 19 सितम्बर 2022 एवं दिनांक 29 सितम्बर 2022 का कुल तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 5-24-2021-एक-(1).—माननीय, न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर का

ओ. एस. डॉ.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-626-(दो-1-22-2021), दिनांक 2 फरवरी 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 12 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक 87 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 5-24-2021-एक-(1).—माननीय, न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर का ओ. एस. डॉ.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-628-(दो-1-22-2021), दिनांक 2 फरवरी 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 11 से 20 जनवरी 2023 तक 10 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

एफ 1-3-6-0003-2023-जीएडी-एक-01(जीएडी).—माननीय न्यायाधिपति श्री अतुल श्रीधरन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-3466-(दो-1-8-2023), दिनांक 6 मई 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 4 मई 2023 तक चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

क्र. एफ-1324336-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (पुलिस मैन्युअल), पु. मु. भोपाल को दिनांक 29 मई से 9 जून 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27-28 मई व 10-11 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में म्यांमार एवं थाईलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

- विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (आरएण्डडी), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से अति. पुलिस महानिदेशक (पुलिस मैन्युअल), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2023

क्र. एफ 1(ए) 147-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (रेल), मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 5 से 23 जून 2023 तक उन्हें दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03-04 व 24-25 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती मुष्मा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से विशेष पुलिस महानिदेशक, (रेल), मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 148-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2023 द्वारा श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस, मध्यप्रदेश, जबलपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 26 मई 2023 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 27-28 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर के स्थान पर उत्तर-पूर्व-अंडमान-निकोबार द्वीप समूह (एक स्थान) की परिवार सहित जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया था। चूंकि श्री गुप्ता, भापुसे का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने के कारण उक्त स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं ले सके, अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है।

क्र. एफ 1(ए) 199-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (सतर्कता), पु. मु., भोपाल को दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 3-4 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (अ. अ. वि.), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक, (सतर्कता), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर केंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

क्र. एफ 1(ए) 75-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजय कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट को दिनांक 5 से 14 जून 2023 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 3-4 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री संजय कुमार, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट, जोन, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर केंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 2 जून 2023

क्र. एफ 1 (ए) 86-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), नगरीय पुलिस इन्डौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|----|------------------------|----------|
| 1. | श्री मनीष कपूरिया | — स्वयं |
| 2. | श्रीमती नवनीता कपूरिया | — पत्नी |
| 3. | कु. अनुश्री कपूरिया | — पुत्री |
| 4. | कु. अनन्या कपूरिया | — पुत्री |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, का चालू कार्य श्री राजेश हिंगणकर, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त (अपराध व मुख्यालय), नगरीय पुलिस, इन्डौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), नगरीय पुलिस, इन्डौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त केंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1334217-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर को दिनांक 1 से 12 जुलाई 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में इटली एवं फ्रांस की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा बहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) श्रीमती कृष्णवेणी देसावतु, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री कुमार सौरभ, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कृष्णवेणी देसावतु, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती कृष्णवेणी देसावतु, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कृष्णवेणी देसावतु, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कृष्णवेणी देसावतु, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बर्नी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 6 जून 2023

क्र. एफ 1(ए) 77-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री शियास ए., भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (अ. अ. वि.), पु. मु., भोपाल का दिनांक 25 से 31 मई 2023 तक सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री शियास ए., भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री संजय सिंह, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन (अ. अ. वि.), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5/6 जून 2023

फा. क्र. 2625-इक्कीस-ब(एक)-2023.—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 7 तथा 36 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

(3)

श्री पवन कुमार पटेल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा''।

श्री दिनेश कुमार नोटिया, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर।

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F-No. 2625-XXI (B-I)-2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 7 and 36 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Name of District (1) “7.	Name and Designation of Special Judge (2) Chhindwara
36.	Shajapur	Shri Pawan Kumar Patel, II nd District & Additional Sessions Judge, Chhindwara”.
		Shri Dinesh Kumar Notiya, III rd District & Additional Sessions Judge, Shajapur.

(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 2627-इक्कीस-ब(एक)-2023.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 71 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम (1)	पदस्थापना का स्थल (2)	सिविल जिले का नाम (3)	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम (4)	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम (5)	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम (6)
“71.	श्रीमती मुन्यना श्रीवास्तव व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, आगर।	आगर	शाजापुर	आगर	आगर।”	

F. No. 2627-XXI-B(1)-2023.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th May, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 71 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate Level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“71.	Smt. Sunyna Shrivastava, Civil Judge Senior Division, Agar.	Agar	Shajapur	Agar	Agar.”.

F. No. 2630-इक्कीस-ब(एक)-2023.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) को धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एटद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 37 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“37.	श्री प्रत्युष चतुर्वेदी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर.”.

F. No. 2630-XXI-B(1)-2023.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 37 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate Level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“37.	Shri Pratyush Chaturvedi, II nd Civil Judge Junior Division, Indore.	Indore	Indore	Indore	Indore.”.

शुद्धिपत्र

भोपाल, दिनांक 6 जून 2023

फा. क्र. 2740-इक्कीस-ब(एक)-2023.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक 206-इक्कीस-ब (एक)-2023, दिनांक 10 मई 2023 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना के हिन्दी संस्करण में सरल क्रमांक-13 के सम्बुद्ध श्री नितेन्द्र सिंह तोमर का पदनाम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के स्थान पर “बाईसवे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल” पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2023

फा. क्र. 2197-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 18 अगस्त 2022 की शर्तों पर लोकायुक्त संगठन ग्रामियर के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री अजय कुमार चतुर्वेदी, विशेष लोक अभियोजक, ग्रामियर के कार्यकाल में दिनांक 12 जून 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें प्रतिमाह नियन्त्रण मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यव देव होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भटेले, अतिरिक्त सचिव।

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2023

क्र. एफ 15-2-2016-पन्द्रह-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 द्वारा श्री चन्द्रेश कुमार खरे (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) को अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के पद पर 02 वर्ष की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये हैं।

(2) राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 77 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 59-ए(3) के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष श्री चन्द्रेश कुमार खरे का अध्यक्षीय कार्यकाल उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अर्थात् दिनांक 15 दिसम्बर 2025 तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) श्री चन्द्रेश कुमार खरे की सेवाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 59-ए के अन्तर्गत पूर्ववत् अधिशासित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, सचिव।

श्रम विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2023

क्र. 817-1362224-2023-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, कल्याण आयुक्त को, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन मण्डल को देव किसी राशि की वसूली के लिए, मध्यप्रदेश भू-राजस्व मंहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 147 के अधीन, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में तहसीलदार की शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है।

(2) यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

No. 817-1362224-2023-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), the State Government, hereby, authorizes Welfare Commissioner, to exercise the powers of Tahsildar in the whole State of Madhya Pradesh under section 147 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) for recovery of any sum payable to the Board under sub-section (1) of Section 24 of the said Adhiniyam.

(2) This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय जैन, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

क्र. एफ 4-3-17-0001-2022-तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, मंत्रि-परिषद् के आयटम क्रमांक 17, दिनांक 4 मई 2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21 अप्रैल 2023 की कंडिका 5 अनुसार “श्री रामचन्द्र पथ गमन न्यास” की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 2-1-18-0008-2023-तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, मंत्रि-परिषद् के आयटम क्रमांक 18, दिनांक 4 मई 2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21 अप्रैल 2023 की कंडिका 2 “वर्तमान में ऐसे आवेदक और उनके आश्रित उसी स्थिति में वित्तीय सहायता के पात्र हैं जबकि उनकी मासिक आय परिवार के अकेले सदस्य के लिए रुपये 1500/- प्रतिमाह और दो सदस्यों के लिए रुपये 2000/- प्रतिमाह और तीन सदस्यों के लिए 3000/- प्रतिमाह हो इस आय की सीमा को बढ़ाकर परिवार की अधिकतम आय सीमा रुपये 7000/- मासिक अथवा 84000/- वार्षिक प्रति परिवार की स्वीकृति तथा कंडिका 3 “अर्थभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों और उनके अधिकारियों को वित्तीय सहायता में वृद्धि करते हुए प्रति परिवार कलाकार/साहित्यकार को मासिक राशि रुपये 5000/- तथा आर्थिक सहायता कलाकार/साहित्यकार को मृत्यु उपरांत परिवार को मासिक राशि रुपये 3500/- करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2023

क्र. 1216897-2023-तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य संरक्षित स्मारक राजवाड़ा, इन्दौर में कार्यक्रमों का आयोजन/दर्शकों का प्रवेश हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

- (1) राजवाड़ा स्मारक / स्थल संग्रहालय में दर्शकों का प्रवेश प्रातः 11.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक सःशुल्क रहेगा।
- (2) स्मारक स्थित गणेश हॉल का आवंटन प्रतिदिवस रुपये 10,000/- (+ जी. एस. टी. 18%) सहित निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये शुल्क 01 अप्रैल 2024 से प्रतिवर्ष 10% वृद्धि भी निर्धारित की जाती है।
- (3) कार्यक्रम आयोजन के लिए धरोहर राशि रुपये 2000/- से बढ़ाकर रुपये 5000/- निर्धारित की जाती है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना पाण्डेय, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2023

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-3-32-2020-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी सूचना क्रमांक-एफ-3-32-2020-अठारह-5 दिनांक 2 जून 2023 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023 में हुआ है।

(2) उक्त सूचना की तालिका क्रमांक 14 के कॉलम 4 में मानचित्र क्रमांक 37 के स्थान पर त्रुटि सुधार कर मानचित्र क्रमांक 14 तथा तालिका क्रमांक 37 में कॉलम 4 में मानचित्र क्रमांक 38 के स्थान पर त्रुटि सुधार कर मानचित्र क्रमांक 37 पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मई 2023

पत्र क्र. 335-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हर्दी
- (ग) ग्राम—मऊगांज
- (घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)		
अ. निजी पट्टे की भूमि			
54	0.001		
82	0.001		
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.002</u>		
ब. म. प्र. शासन की भूमि			
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>		
अ+ब का योग . .	<u>0.002</u>		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 337-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—बड़खरा
- (ग) ग्राम—मऊगांज
- (घ) क्षेत्रफल—0.004 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)	
अ. निजी पट्टे की भूमि		
35	0.001	
84	0.001	
115	0.001	
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.004</u>	
ब. म. प्र. शासन की भूमि		
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>	
अ+ब का योग . .	<u>0.004</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 339-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—मलैगढ़ी
- (घ) क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकवा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
14	0.001
95	0.001
60	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.003</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.003</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 341-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—शाह
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकवा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	133 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.001</u>

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.001</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 343-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—तीतपुर

(घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
51	0.001
96	0.001
200	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.003</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.003</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 345-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—बराती
- (घ) क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
45	0.001
79	0.001
2	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.003</u>

(1) (2)

ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.003</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 347-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—बहेरी नानकर
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
9	0.001
296	0.001
129	0.001
221	0.001
374	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.005</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.005</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाइ परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 349-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—बहरी चौवान
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
47	0.001
146	0.001
219	0.001
295	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.004</u>

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.004</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाइ परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 351-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—हरैया
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.001</u>
----------------------------------	--------------

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
---------------------------------	-------

अ+ब का योग . . 0.001

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाइ परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 353-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा

- (ख) तहसील—मऊगंज
 (ग) ग्राम—भूण्डहा
 (घ) क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
57	0.001
146	0.001
208	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.003</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . .	<u>0.003</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 355-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—मऊगंज
 (ग) ग्राम—रौसरा

- (घ) क्षेत्रफल—0.005 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकवा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
14	0.001
12	0.001
83	0.001
174	0.001
236	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.005</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . .	<u>0.005</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 357-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—मऊगंज
 (ग) ग्राम—पतेरी मु. डिधौल
 (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकवा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
16	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.001</u>

(1)	(2)
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.001</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 359-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—ऊर्ची कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—0.006 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
78	0.001
311	0.001
1064	0.001
568	0.001
781	0.001
879	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.006</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.006</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 361-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—उघरेंगा
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
30	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.001</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 363-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—गोंदरी
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

99 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.001

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 365-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—मजरा ऊची
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

67 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.001

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 367-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—कुलवहेगिया
- (घ) क्षेत्रफल—0.005 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

38 0.001

(1)	(2)
79	0.001
185	0.001
313	0.001
342	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.005</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.005</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 369-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
 - (ख) तहसील—मऊगंज
 - (ग) ग्राम—महुगढ़ा
 - (घ) क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
5	0.001
83	0.001
167	<u>0.001</u>
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.003</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.003</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 371-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—तरौड़ा
- (घ) क्षेत्रफल—0.010 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

47	0.001
86	0.001
204	0.001
253	0.001
338	0.001
393	0.001
477	0.001
546	0.001
734	0.001
893	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.010

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.010

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 373-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—कंजरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

36	0.001
253	<u>0.001</u>

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.002

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 375-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—सगरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.007 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

144	0.001
267	0.001
34	0.001
365	0.001
498	0.001
666	0.001
855	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.007

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.007

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 377-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—अंटराकला
- (घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	

266	0.001
-----	-------

347	0.001
-----	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.002

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 379-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—हरगढ़ी
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	

33	0.001
----	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.001

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 381-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—पथरहा
- (घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	

21	0.001
----	-------

66	0.001
----	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.002

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.002

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 383-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—पथरहा नं. 2
- (घ) क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
4	0.001
214	0.001
259	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.003</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . .	<u>0.003</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 385-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—नेऊरिहा
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

अ. निजी पट्टे की भूमि	
-----------------------	--

74	0.001
----	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.001</u>
----------------------------------	--------------

ब. म. प्र. शासन की भूमि	
-------------------------	--

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
---------------------------------	--------------

अ+ब का योग . .	<u>0.001</u>
----------------	--------------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
बड़वाह, दिनांक 25 मई 2023

प्रस्तुप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1875-रीडर-1-2023-क्र. 0016-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन “वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-खेड़ी, प. ह. नं.-47, रा. नि. मं.-02, सनावद, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाई जाए.

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-खेड़ी, प. ह. नं.-47	107/4 107/5 108/5 110	0.030 0.070 0.210 0.100
		कुल योग . .	<u>04</u>	<u>0.410</u>

प्रस्तुप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1880-रीडर-1-2023-क्र. 0017-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन “वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-राजपुरा, प. ह. नं.-43, रा. नि. मं.-02, सनावद, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाई जाए।

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खमरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1) खरगोन	(2) सनावद	(3)	(4)	(5)
		ग्राम-राजपुरा, प. ह. नं.-43	17/2 19/1 27/2 28/1 29/1 30/1 29/2 29/6 29/3 104/2 103 99/3 100/3 100/1 94/8 94/2 94/9 93/7 93/6 93/5 92/2 92/3 92/4 92/1 83/6	0.350 0.300 0.420 0.025 0.230 0.010 0.170 0.310 0.450 0.080 0.350 0.220 0.200 0.035 0.260 0.060 0.030 0.140 0.150 0.030 0.220 0.070 0.070 0.100 0.120
		कुल योग	25	4.400

प्रस्तुप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1883-रीडर-1-2023-क्र. 0015-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन “वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-भोकरीया, प. ह. नं.-44, रा. नि. मं.-02, सनावद, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुचिभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-भोकरीया, प. ह. नं.-44	11/1 11/2 11/3 10 15/5 15/2 15/3 16/4 16/6 16/3 26/1 26/4 25/2 25/1 26/2 24/6 24/3/3 24/4 21/3	0.200 0.150 0.050 0.300 0.070 0.180 0.330 0.200 0.030 0.380 0.050 0.200 0.070 0.020 0.280 0.040 0.070 0.225 0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		23/1		0.010
		22/3		0.300
		22/2		0.170
		22/1		0.150
		23/3		0.016
		23/8		0.015
		22/5		0.010
			26	3.526
	कुल योग .			

प्ररूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1885-रीडर-1-2023-क्र. 0014-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन “वृद्ध ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-खनगांव, प. ह. नं.-47, रा. नि. मं.-02, सनावद, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोका के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-खनगांव, प. ह. नं.-47	63/14 63/15 65/3 65/1 <hr/> 64 <hr/> 05	0.030 0.200 0.250 0.200 <hr/> 0.030 <hr/> 0.710
		कुल योग . .		

प्ररूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1888-रीडर-1-2023-क्र. 0018-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन “वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-भोकर, प. ह. नं.-49, रा. नि. मं.-02, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोका के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-भोकर, प. ह. नं.-49	43/1 43/2 42 39/6 40 15/3 15/1 16 14/1 14/2	0.160 0.180 0.380 0.250 0.440 0.110 0.450 0.580 0.200 0.300
		कुल योग	10	3.050

प्ररूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1891-रीडर-1-2023-क्र. 0019-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन “वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बासवा, प. ह. नं.-47, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोका के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1) खरगोन	(2) सनावद	(3) ग्राम-बासवा प. ह. नं.-47	(4)	(5)
			5/1	0.250
			5/4	0.040
			6/1	0.200
			6/3	0.155
			6/4	0.030
			7/2	0.200
			73/1	0.055
			73/6	0.050
			73/2	0.040
			73/5	0.200
			74/1	0.030
			74/3/1	0.200
			74/2	0.180
			69/1/1	0.070
			76/1	0.120
			77/1	0.010
			113/1	0.500
			113/2	0.075
			114/1	0.120
		कुल योग . .	19	2.525

प्ररूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1894-रीडर-1-2023-क्र. 0020-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन “वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बावनी, प. ह. नं.-49, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-बावनी, प. ह. नं.-49	1/1 3 1/2 5 10 11/2 13/1 13/2 9/1	0.160 0.200 0.500 0.050 0.150 0.400 0.350 0.020 0.040
		कुल योग . . .	<u>09</u>	<u>1.870</u>

प्ररूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1897-रीडर-1-2023-क्र. 0021-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन “वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-अंजरुद, प. ह. नं.-44, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रवंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1) खरगोन	(2) सनावद	(3) ग्राम-अंजरुद, प. ह. नं.-44	(4)	(5)
		ग्राम-अंजरुद, प. ह. नं.-44	250	0.385
			238/3	0.650
			243/1	0.630
			220/2	0.220
			238/5	0.080
			239/1	0.160
			245/1	0.250
			245/2	0.460
			220/1	0.150
			221/1	0.010
			46	0.040
			38/2	0.021
			39	0.150
			41/1	0.030
			47/1	0.290
			38/1	0.300
		कुल योग . .	<u>16</u>	<u>3.826</u>

बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 26 मई 2023

प्ररूप “घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-रीडर-1-2023-राजस्व प्रकरण क्रमांक-419-बी-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4469-री-1-2021-खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर, प. ह. नं.-57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से विछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (B) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-05 एवं 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम-खुटफल, प. ह. नं. 50, रा. नि. म.-03, जावर, तहसील एवं जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसंबर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-खुटफल, प. ह. नं.-50	397/2	0.094
			398	0.037
			396/7	0.012
			395/3	0.050
			393/1	0.046
			374	0.010
			375	0.036
			372	0.049
			244/3	0.072
			244/2	0.004
			257	0.025
			255/1	0.005
			256	0.024
			262	0.017
			95	0.085
			62/3	0.092
			60	0.008
			59	0.024
			58	0.006
			56	0.024
			57	0.025
			54	0.040
			53/2	0.017
			21/4	0.025
			21/3	0.029
			21/2	0.026
			18, 19	0.073
			20/1	0.050
			8	0.033
			9	0.067
			212	0.009
			211	0.030
			161/1	0.033

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			160/3	0.072
			159	0.011
			156/1	0.025
			156/2	0.035
			155	0.080
			153/2	0.093
		कुल योग ..	39	1.493

प्ररूप “घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-रीडर-1-2023-राजस्व प्रकरण क्रमांक-415-बी-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4461-री-1-2021-खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर, प. ह. नं.-57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम-सिहाड़ा, प. ह. नं. 70, रा. नि. मं.-04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-सिहाड़ा, प. ह. नं.-70	848 847 846 845 840 842 841 838 837 864/1	0.034 0.015 0.018 0.017 0.029 0.017 0.013 0.028 0.032 0.030

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			864/2	0.005
			867	0.016
			866	0.072
			870	0.023
			879	0.012
			884	0.006
			878	0.005
			891/1	0.024
			883	0.020
			886	0.017
			887	0.005
			882	0.024
			888	0.015
			890	0.049
			932	0.039
			933	0.049
			929	0.059
			964	0.039
			967	0.030
			972/2	0.040
			972/3	0.013
			969/1	0.079
			1012	0.003
			1034	0.067
			1037/1	0.025
			1145/2	0.010
			1037/2	0.039
			1145/1	0.025
			1037/3	0.039
			1145/3	0.015
			1144	0.030
		कुल योग . .	<u>41</u>	<u>1.127</u>

प्ररूप “घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-रीडर-1-2023-राजस्व प्रकरण क्रमांक-418-बी-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4467-री-1-2021-खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर, प. ह. नं.-57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (C) की बांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-06 में जल परिवहन हेतु ग्राम-बड़िया तुला, प. ह. नं. 69, रा. नि. मं.-04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-बड़िया तुला, प. ह. नं.-69	208/1 209/1 208/2 211/1 214/2 214/1 215 224 216/1 223/1 223/3 221/1	0.010 0.021 0.012 0.061 0.006 0.059 0.021 0.046 0.012 0.034 0.027 0.035
			कुल योग	12
				0.344

प्ररूप “घ” (नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-रीडर-1-2023-राजस्व प्रकरण क्रमांक-413-बी-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4457-री-1-2021-खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर, प. ह. नं.-57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाइ जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (B) की बांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-113 में जल परिवहन हेतु ग्राम-केहलारी, प. ह. नं. 48, रा. नि. मं.-03, जावर, तहसील एवं जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-केहलारी, प. ह. नं.-48	687	0.039
		कुल योग . .	01	0.039

प्रस्तुप “घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-रीडर-1-2023-राजस्व प्रकरण क्रमांक-417-बी-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4465-री-1-2021-खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर, प. ह. नं.-57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाइ जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-23, 35 एवं 95 में जल परिवहन हेतु ग्राम-बड़गांवमाली, प. ह. नं. 84, रा. नि. मं.-04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-बड़गांवमाली, प. ह. नं.-84	742 758/1 727 725 726 724 722 614/2 716 717	0.119 0.041 0.027 0.020 0.021 0.024 0.007 0.054 0.028 0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ग्राम-बड़गांवमाली, प. ह. नं. 84	715	0.061
			713	0.071
			711	0.030
			710	0.058
			385	0.012
			617/1	0.078
			613	0.023
			614/1	0.051
			762	0.064
			615	0.016
			612/3	0.028
			609/1	0.041
			609/2	0.029
			608/2	0.010
			605/3	0.047
			295	0.051
			298	0.122
			301/1	0.044
			301/3/1	0.028
			744/1	0.040
			301/3/2	0.043
			301/3/3	0.043
			302	0.004
			349/2	0.045
			592/1	0.019
			591	0.051
			590/4	0.011
			590/3	0.010
			590/2	0.010
			590/1	0.011
			589/1	0.015
			589/2	0.025
			573	0.119
			574/2/2	0.031
			483/1	0.024
			483/2	0.025
			483/3	0.032
			481/2	0.009
			481/1/1	0.025
			477	0.050
			441	0.059
			443	0.013
			446	0.083
			450/1	0.033
			453	0.117
			454	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ग्राम-बड़गांवमाली, प. ह. नं. 84	747/4 747/3 747/2 746 755 752/2 758/3 760 761/1 761/2 765 780 781 779/2 778 634/1 634/2 645/2/2 646 647 648/1 651/1 652/1	0.029 0.035 0.042 0.052 0.029 0.039 0.049 0.053 0.025 0.025 0.070 0.064 0.053 0.019 0.090 0.029 0.018 0.025 0.036 0.041 0.084 0.033 0.013
		कुल योग . . .	<u>79</u>	<u>3.123</u>

प्ररूप “घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-रीडर-1-2023-राजस्व प्रकरण क्रमांक-416-बी-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4463-री-1-2021-खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर, प. ह. नं.-57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (B) की बांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-23 में जल परिवहन हेतु ग्राम-ललवाड़ा, प. ह. नं. 55, रा.नि.म. 03, जावर, तहसील एवं जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-ललवाड़ा, प. ह. नं. 55	19 10/3 10/2 10/1/2 10/1/1	0.023 0.066 0.039 0.026 0.054
		कुल योग . .	05	0.208

प्रस्तुप “घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-रीडर-1-2023-राजस्व प्रकरण क्रमांक-414-बी-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4459-री-1-2021-खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर, प. ह. नं. 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (B) में जल परिवहन हेतु ग्राम—ललवाड़ा, प. ह. नं. 55, रा.नि.मं.-03, जावर, तहसील एवं जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-ललवाड़ा, प. ह. नं.-55	14/1 14/2 14/3 15	0.032 0.032 0.033 0.026

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		12	0.050	
		57	0.074	
		10/3	0.049	
		54	0.010	
		19	0.097	
		20	0.025	
		21/2	0.059	
		55/1	0.026	
		55/2	0.014	
		55/3	0.006	
		86/1	0.018	
		84	0.015	
		85	0.019	
		47	0.015	
		87/3	0.047	
		101/1	0.033	
		101/2	0.043	
		101/3	0.050	
		100	0.013	
		99/1	0.047	
		99/2	0.023	
		98	0.002	
		97/1	0.030	
		97/3	0.069	
		97/2	0.038	
	कुल योग . .	29	0.995	

अरविन्द कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, (मध्यप्रदेश)

बड़वाह, दिनांक 2 जून 2023

प्रस्तुप “घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 2006-रीडर-1-2023-राजस्व प्रकरण क्रमांक-0706-ब-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-669-री-1-2023-बड़वाह, दिनांक 20 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भौकनगांव-बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम-बावड़िया से ग्राम-खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-16 में जल परिवहन हेतु ग्राम-धनकलां प. ह. नं.-30, रा. नि. मं.-02, सनावद, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संवंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-धनकलां प. ह. नं.-30	197 199/1 198/4 198/3 196 211/2 180/2 180/1 183/2 39 41/2 28 29	0.009 0.033 0.008 0.041 0.003 0.026 0.016 0.064 0.025 0.006 0.095 0.207 0.019
		कुल योग	13	0.0552

प्ररूप “घ”
[नियम 6 देखिए]

पत्र क्र. 2007-रीडर-1-2023-राजस्व प्रकरण क्रमांक-0712-ब-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-867-री-1-2023-बड़वाह, दिनांक 9 मार्च, 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम-बावड़िया से ग्राम-खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-03 व 16 में जल परिवहन हेतु ग्राम-बावड़िया प. ह. नं.-29, रा. नि. मं.-01, बेड़िया, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1) खरगोन	(2) सनावद	(3) ग्राम-बावड़िया प. ह. नं.-29	(4)	(5)
			137	0.016
			136	0.172
			135/1	0.072
			133/1	0.030
			128/4	0.035
			131/3	0.031
			128/6	0.022
			132/3	0.004
			132/1	0.042
			131/4	0.007
			131/2	0.008
			131/1	0.019
			112	0.029
			40/6	0.020
			40/5	0.013
			42/5	0.004
			42/4	0.011
			40/4	0.006
			40/3	0.005
			42/3	0.036
			42/2	0.009
			40/2	0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			42/1	0.037
			29	0.004
			41	0.008
			34/9/2	0.006
			34/10	0.018
			34/11	0.022
		कुल योग . . .	28	0.697

प्रस्तुप “घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 2008-रीडर-1-2023-राजस्व प्रकरण क्रमांक-0711-ब-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-864-री-1-2023-बड़वाह, दिनांक 9 मार्च, 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम-बाबड़िया से ग्राम-खारवी तक बिछाइ जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-03 व 36 में जल परिवहन हेतु ग्राम-गुमटी, प. ह. नं.-29, रा. नि. मं.-02, सनावद, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च, 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-गुमटी, प. ह. नं.-29	174/1 310 308/2 312/7 366/1 366/2 367/3 367/2 371/1ब	0.034 0.049 0.030 0.042 0.008 0.046 0.037 0.012 0.083
		कुल योग . . .	09	0.341

प्रस्तुप “घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 2009-रीडर-1-2023-राजस्व प्रकरण क्रमांक-0713-ब-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-870-री-1-2023-बड़वाह, दिनांक 9 मार्च, 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भौकनगांव-बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम-बाबड़िया से ग्राम-खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की त्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-36 व 199 में जल परिवहन हेतु ग्राम-बिंजलवाड़ा, प. ह. नं.-28, रा. नि. मं.-01, बेड़िया, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विविरिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च, 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संवंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी मूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
(1) खरगोन	(2) सनावद	(3) ग्राम-बिंजलवाड़ा, प. ह. नं.-28	(4)	(5)
			151/4	0.029
			151/5	0.041
			151/6	0.007
			151/3	0.063
			151/2	0.054
			149	0.149
			127/11	0.013
			127/10	0.016
			127/9	0.036
			127/8	0.035
			148/2	0.030
			148/1	0.045
			134/1	0.023
			134/2	0.036
			134/3	0.045
			80/6	0.018
			80/13	0.015
			80/2	0.038
			80/7	0.046
			80/3	0.052
			80/11	0.026
			80/15	0.039
			80/12	0.004
			80/8	0.007
			76/2	0.024
			76/1	0.021
			66	0.012
			135	0.003
कुल योग . .			28	0.927

बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 8 जून 2023

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 31-अ-82-2022-23-3641.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
- (ख) तहसील—जयसिंहनगर
- (ग) ग्राम—करकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.190 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1774/1	0.065
1775/1/1	0.050
1774/2	0.065
1775/1/2	0.050
1763/1	0.230
1763/2	0.230
1775/2	0.180
1776/2	0.260
1753	0.060
कुल योग . .	1.190

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेंड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उत्रयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि.मी.).

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर जिला शहडोल/ संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ-82-2022-23-3642.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
- (ख) तहसील—ब्यौहारी
- (ग) ग्राम—भमरहा द्वितीय
- (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.880 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
644/2/2	0.121
644/6/1	0.198
644/4/3/2	0.063
702/1	0.275
702/2	0.013
710	0.210
कुल योग . .	0.880

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेंड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उत्रयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि.मी.).
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर जिला शहडोल/ संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 29-अ-82-2022-23-3643.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
- (ख) तहसील—ब्यौहारी
- (ग) ग्राम—जगमल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.669 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
228/1	0.021
228/2	0.021
228/3	0.043
228/4	0.085
229/1	0.010
229/3	0.010
229/4	0.020
229/5	0.040
245/1	0.081
245/2/1/1/1/1/1/1	0.205
245/2/1/1/1/2	0.008
245/2/1/1/2	0.016
245/2/1/1/1/1/2	0.005
245/2/1/1/1/1/2	0.010
245/2/1/1/1/1/1/2	0.005
246/1	0.063
246/2/1/1/1/2/2	0.006
246/2/1/1/1/1/1/2	0.006
246/2/1/1/1/1/2	0.005
246/2/1/1/1/2	0.005
246/2/1/1/1/1/1/2	0.004
कुल योग . .	0.669

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेंड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि. मी.)।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सङ्कर विकास निगम लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 32-अ-82-2022-23-3644.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि, अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
- (ख) तहसील—जयसिंहनगर
- (ग) ग्राम—टेटका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.772 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
655/1	0.300
744/1/1/2	0.135
744/1/1/2/1/1	0.063
744/1/1/2/1/3	0.066
744/1/1/2/2	0.090
744/1/3/1	0.186
744/2/2	0.120
744/2/3	0.120
744/3/4	0.022
744/3/5	0.022
744/3/6	0.078
744/3/7	0.084
744/3/8	0.084
744/3/9	0.033
744/3/10	0.033
744/4/1/2	0.135
744/4/1/1	0.135
744/5/1	0.066
कुल योग . .	1.772

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेब्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक, डिजाइन लम्बाई 90 कि. मी.)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर जिला शहडोल, मध्यप्रदेश / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 14 मार्च 2023

क्र. 20अ-82-21-22-भू-अर्जन-23-2242-मौजा बरोदा रहली पट. ह. नं. 113 तहसील सागर.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं—

(1) परियोजना का नाम : बरौदा जलाशय निर्माण

(2) भूमि का विवरण

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—सागर
- (ग) ग्राम—बरौदा रहली
- (घ) पट. ह. नं.—113
- (ङ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—1.920 हेक्टर

अनुसूची

भू-धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रक्कबा	अर्जित भूमि का विवरण		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
				सिंचित	असिंचित	
(1) लखन सिंह पिता कृपन सिंह	(2) भूमिस्वामी	(3) 829	(4) 2.390	(5) 0.000	(6) 1.920	(7) बेल-38, सीताफल-2 आंवला-6, सागौन-772 साजा-21, महुआ-7, पीपल-4, रेंजा-22 नीम-3, छेवला-28 करंज-4, अचार-2, धौं-1, बेरी-1, कोहा-10, किरवार-4 गुरार-2, चिरौल-3 करौदा-10, खैर-4

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र को पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.

अधिनियम, 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सागर, जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 21 अप्रैल 2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अधिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं.

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सागर, जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 7 जून 2023

प्रारूप 'घ'
(नियम-6 के अंतर्गत)

क्र. री. 1-2023.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) की सक्षम अधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 330/री-1/2023 नागदा, दिनांक 12 अप्रैल 2023 राज्य सरकार नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना कस्बा उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईप लाईन डक्ट बिछाये जाये और अतएव राज्य सरकार उक्त भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। संलग्न अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 अप्रैल 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी तहसील कार्यालय को नोटिस बोर्ड तथा ग्राम पंचायत तथा संबंधित ग्राम के लोग, समागम स्थान पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमि स्वामि व अधिभोग को दे दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विलम्बगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा कि उस भूमि जिसमें भूमिगत पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न सूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाएः—

अनुसूची

क्र.	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित	सर्वे क्रमांक	कुल रकमा (हेक्टर में)	आर.ओ.यू (फसल)	प्रभावित क्षेत्र	संचित/ असंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	नारायण प्रसाद पिता भेरुलाल, जाति धाकड़, ढोढरिया	1392/2 1393/5 1436/1/3/3	0.0840 0.0570 0.0600	0.0600	0.0060	संचित
02.	कैलाशचंद्र पिता भेरुलाल, जाति धाकड़, ढोढरिया	1392/4 1393/3/2 1436/1/6	0.0730 0.0580 0.0450	0.0800	0.0080	संचित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
03.	अशोक राजूबाई पिता रामलाल व दुर्गाबाई बेवा रामलाल, जाति थाकड़, ढोढरिया	1435/1	0.1920	0.0600	0.0060	सिंचित
		कुल योग . . .	0.5690	0.2000	0.0200	

आशुतोष गोस्वामी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घटिटया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 7 जून 2023

प्रारूप 'घ'
(नियम-6 के अंतर्गत)

क्र. री. 1-2023.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमि पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता को अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा (3) उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी के अधिसूचना पत्र क्रमांक 387 रिडर 1-2023 उज्जैन, दिनांक 4-2022 राज्य सरकार ने नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना ग्राम सोडंग, तहसील घटिटया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाइ जाए. और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है संलग्न अधिसूचना बिना विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन इस आशय की घोषणा की है और अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अप्रैल 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम अधिकारी, तहसील कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत व संबंधित ग्राम के लोग समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी/अधिभोगी को दे दी गई है.

अतएव उक्त अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (1) पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि का उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए :—

अनुसूची

क्र.	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित	सर्वे क्रमांक	कुल रकब हेक्टर में	प्रभावित क्षेत्र पाईप	सिंचित/असिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	कमलसिंह पिता रामसिंह	369/3	0.07	0.07	सिंचित
02	राधेश्याम पिता गोवर्धन	370/1	0.05	0.05	सिंचित
03	सीमाबाई पति बहादुरसिंह	371	0.14	0.14	सिंचित
04	समीबाई पति थावर	374/1	0.03	0.03	सिंचित
05	नारायण पिता छोगालाल	375	0.11	0.11	सिंचित
06	साहू प्रोगेसिव कार्पोरेशन लिमिटेड	377/1/1	0.20	0.1	असिंचित
	कुल योग . . .		0.60	0.50	

धीरेन्द्र पाराशार, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोठी महल, उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 12 जून 2023

प्रारूप 'घ'

(नियम-6 के अंतर्गत)

क्र. 154-री-1-2023 राजस्व प्र. क्र. 001/अ-82(NH)2023.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1135-री 1-2023 उज्जैन, दिनांक 15 मार्च 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भूमिगत पाइपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाने के लिये ग्राम गोठडा, तहसील कोठीमहल, जिला उज्जैन, (मध्यप्रदेश) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाई जाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि उपयोक्ता के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी दी है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची					
क्र.	ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का नंबर	भूमिस्वामी / अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टर में)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	ग्राम गोठडा प. ह. नं. 02	विजय सिंह पिता रामेश्वर आंजना	87/3/1	0.570	0.060
2		अंबतालाई पति भेरुलाल, हरिराम, हाकमसिंह आंजना, रणछोड़ रामचंद्र पिता भेरुलाल.	33/1/2 34/1/2	0.570 0.7730	0.1500
3		मोहनबाई पति जयसिंह	33/3/1	0.209	0.1125
4		आशाराम पिता रघुनाथ	33/2/3	0.262	0.060
5		भाविक पिता महेश परियानी	33/3/1	0.523	0.060
कुल योग . .					0.4425

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-358—भू—अर्जन—2023

सीधी, दिनांक 28 अप्रैल 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

(1) भूमि का वर्णन —

जिला	:—	सीधी
तहसील	:—	सिहावल
ग्राम	:—	खड़बड़ा
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:—	0.519 हेक्टेएर

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा (हेक्टेएर में)	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4
1	1471	0.037	भूपेन्द्र कुमार सिंह, मृगेन्द्र कुमार सिंह, पुष्पेन्द्र कुमार सिंह पिता कल्याण सिंह नि.ग्रा. खड़बड़ा
2	1470	0.019	भूपेन्द्र कुमार सिंह, मृगेन्द्र कुमार सिंह, पुष्पेन्द्र कुमार सिंह पिता कल्याण सिंह नि.ग्रा. खड़बड़ा
3	1472	0.009	गिरीश, राजकुमार, विपेन्द्र, भूपेन्द्र पिता हिन्छलाल पाण्डेय निवासी ग्राम खड़बड़ा
4	1473	0.108	भूपेन्द्र कुमार सिंह, मृगेन्द्र कुमार सिंह, पुष्पेन्द्र कुमार सिंह पिता कल्याण सिंह नि.ग्रा. खड़बड़ा
5	1456	0.194	भूपेन्द्र कुमार सिंह, मृगेन्द्र कुमार सिंह, पुष्पेन्द्र कुमार सिंह पिता कल्याण सिंह नि.ग्रा. खड़बड़ा
6	1455	0.116	भूपेन्द्र कुमार सिंह, मृगेन्द्र कुमार सिंह, पुष्पेन्द्र कुमार सिंह पिता कल्याण सिंह नि.ग्रा. खड़बड़ा
7	1449/2	0.036	भूपेन्द्र कुमार सिंह, मृगेन्द्र कुमार सिंह, पुष्पेन्द्र कुमार सिंह पिता कल्याण सिंह नि.ग्रा. खड़बड़ा
निजी भूमि का योग—		0.519	

**भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल
के कार्यालय में देखा जा सकता है।**

क्र.-360—भू—अर्जन—2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

जिला	सीधी
तहसील	बहरी
ग्राम	पिपरा
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	0.304 हेए

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा (हेए में)	भूमिस्वामी का नाम
			4
1	372	0.048	महरजुआ वेवा मोतीलाल हीरालाल, रामचन्द्र, लालजी, बालजी, हरीनरायण पिता मोतीलाल, गुजरतिया वेवा जगजीवन, बुद्धसेन, शेखनाथ पिता जगजीवन निवासी ग्राम पिपरा
2	381	0.100	गोमती प्रसाद, निचकऊ राम पिता दीनवन्धुराम शुक्ला 1/9 भाग कुन्जलाल, प्यारेलाल, अरुण, राजेन्द्र, पिता वासुदेव शुक्ला 1/9 भाग, सत्यप्रसाद, त्रिसूल, सूर्यप्रकाश, बृजभूषण, श्यामाचरण पिता गोविन्द प्रसाद शुक्ला 1/9 भाग, पावर्ती वेवा रामयश शुक्ला, वीरेश, अशोक, रोहणी, ज्ञानेन्द्र पिता रामयश शुक्ला 5/54 प्रभावती वेवा श्रवण कुमार शुक्ला, अनीश, मनीष पिता श्रवण कुमार शुक्ला 1/54 भाग, रामनरेश, रामायण पिता झुरई राम शुक्ला 1/3 भाग, लक्ष्मण, उत्तम, कुशल पिता रामचन्द्र शुक्ला 1/9 गुलाबकली अंतरदनिया पिता छोटकऊ राम 1/18 भाग, सुखचन्द्र तेजा उर्फ राजेन्द्र पिता रामललन राम 1/18 भाग निवासी ग्राम पिपरा
3	380	0.100	गोमती प्रसाद, निचकऊ राम पिता दीनवन्धुराम शुक्ला 1/3 भाग, गुलाबकली पिता छोटकऊ राम 1/18 भाग अंतरदनिया पिता छोटकऊ राम 1/9 भाग, सुखचन्द्र तेजा उर्फ राजेन्द्र पिता रामललन राम 1/6 भाग, लक्ष्मण, उत्तम, कुशल पिता रामचन्द्र शुक्ला 1/3 निवासी ग्राम पिपरा
4	377	0.056	रामललन गोमती प्रसाद निचकऊ राम पिता दीनवन्धुराम, मु० भुलई वेवा बाबूराम, मु० कलुई पत्नी छोटकऊ, गुलाबकली अंतरदनिया पिता छोटकऊ, मु० चन्द्रावती वेवा रामचन्द्र, लक्ष्मण उत्तम कुशल पिता रामचन्द्र 1/2 रामरक्षा पिता रामबहोर, मु० चन्द्रकलिया वेवा झुरई राम, रामनरेश रामायण पिता झुरई राम जाति बा. निवासी ग्राम पिपरा
निजी भूमि का योग-		0.304	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपर्युक्त अधिकारी सिहावल
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-362-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

जिला	:-	सीधी
तहसील	:-	बहरी
ग्राम	:-	वारपान
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	0.511 हेए

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा (हेए में)	भूमिस्वामी का नाम
			4
1	2	3	
1	18	0.050	हरिप्रकाश पिता ईश्वरी अहिर निंग्राम वारपान
2	119/2	0.077	ओमकेन्द्र प्रसाद पिता सुकुरु यादव निंग्राम वारपान
3	123/2	0.044	ओमकेन्द्र प्रसाद पिता सुकुरु यादव निंग्राम वारपान
4	125/2	0.140	ओमकेन्द्र प्रसाद पिता सुकुरु यादव निंग्राम वारपान
5	16/1	0.200	रामप्रसाद दीक्षित, रशिकविहारी दीक्षित, घनश्याम दीक्षित पिता रघुनन्दन प्रसाद दीक्षित, रामवती दीक्षित बेवा रघुनन्दन प्रसाद दीक्षित 1/3 भाग गंगासागर दीक्षित, भगवत प्रसाद दीक्षित पिता नोखेराम दीक्षित 2/3 भाग निवासी ग्राम वारपान
निजी भूमि का योग-		0.511	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपर्युक्त अधिकारी सिहावल
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-833-1-भृ-अर्जन-2023

सिंगरौली, दिनांक 19 मई 2023

चौंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की समावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलाप सूचित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर दागा दाँध के निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधान के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा - 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

“अनुसूची”

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:-	झोंगा
तहसील	:-	देवसर
जिला	:-	सिंगरारौली
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	निजी रकवा 18.1600 हे.

संक्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)	धारा-12 ये अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रगोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	526	0.3800	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	ढोगा बांध के निर्माण हेतु।
2	483	0.1100		
3	484	0.4300		
4	494/1/1	0.2000		
5	677/1	0.1500		
6	482/1	0.2500		
7	486	0.2400		
8	492/1	0.4100		
9	677/2	0.1500		

10	482/2	0.2500
11	492/2	0.4100
12	678	0.6500
13	679	0.4100
14	476	0.7400
15	524/2	0.0400
16	485	0.3700
17	488	0.4300
18	494/1/2	0.2100
19	540	0.3200
20	491	0.6500
21	496/1/1	0.1600
22	513/1/1	0.1100
23	496/1/2	0.0300
24	496/2	0.1900
25	513/1/2	0.1300
26	521	0.5000
27	501	0.1800
28	504	0.2700
29	513/2	0.0300
30	514/1	0.0300
31	514/2	0.0300
32	514/3	0.0300
33	514/4	0.0300
34	514/5	0.0300
35	514/6	0.0300

36	514/7	0.0300
37	514/8	0.0300
38	516	0.3400
39	518	0.5700
40	479	1.0600
41	543	0.6400
42	544	0.0600
43	545/1	0.1200
44	545/2	0.0300
45	456	0.3400
46	508/1/1/1/1	0.3200
47	508/1/1/1/2	0.0120
48	508/1/1/1/3	0.0120
49	508/1/1/1/4	0.0240
50	508/1/1/1/5	0.0200
51	508/1/1/1/6	0.0120
52	508/1/1/1/7	0.0120
53	508/1/1/1/8	0.0080
54	508/1/1/2	0.0200
55	508/1/1/3	0.0200
56	508/1/1/4	0.0200
57	508/1/2	0.0200
58	508/2	0.0300
59	508/3	0.0300
60	508/4	0.0300
61	508/5	0.0300

62	508/6	0.0300		
63	508/7	0.0300		
64	506	1.1000		
65	363/1	0.1500		
66	474/1	0.0250		
67	363/2	0.1500		
68	474/2	0.0250		
69	388/2	0.1000		
70	389/2	0.1450		
71	387/2	0.3400		
72	362/2	0.1450		
73	681/1	0.1500		
74	680/1	0.1600		
75	387/1	0.3400		
76	388/1	0.1000		
77	362/1	0.1450		
78	389/1	0.1450		
79	680/2	0.1600		
80	681/2	0.1500		
81	359	0.2000		
82	357	1.9500		
कुल योग	82 कित्ता	18.1600 Ha.		

- भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवसर में देखा जा सकता है।
- उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सिंगरौली को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यवित्त इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-746—भू—अर्जन—2023

सतना, दिनांक 31 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, पूर्व में उक्त प्रयोजन की अधिसूचना दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 30/03/2023 के पेज नं. 07 में प्रकाशन किया गया था जिसकी संशोधित अधिसूचना है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला —सतना
- (ख) तहसील— रघुराजनगर
- (ग) नगर / ग्राम — खैरा
- (घ) क्षेत्रफल— 0.074 हें

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. मे.)
1	3/1/1/2/2/1/1/3/2	0.012
2	3/1/1/2/1/1/6/1	0.006
3	9/2/2/4/1/2	0.005
4	9/2/2/4/1/1	0.010
5	3/1/1/2/2/1/1/12	0.007
6	3/1/1/2/1/1/8	0.006
7	3/1/1/2/2/1/1/22	0.008
8	3/1/1/2/1/1/9	0.005
9	3/1/1/2/2/1/1/2	0.015
कुल योग :-		0.074 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण—II) पांचिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर—सतना—रीवा—सिंगरौली—महोबा—खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नवरो (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**
पन्ना, दिनांक 30 मई 2023

प्रकरण क्रमांक 0023/अ-82 वर्ष 2022–2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला — पन्ना
- (ख) तहसील — देवेन्द्रनगर
- (ग) ग्राम — दुबहियाँ, प.ह.नं. 023
- (घ) क्षेत्रफल — 1.0850हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	301/2	0.0700	निजी भूमि
2	293/1	0.0100	निजी भूमि
3	298	0.0100	निजी भूमि
4	294/2	0.0800	निजी भूमि
5	292/1/1	0.0085	निजी भूमि
6	291/4/1	0.0300	निजी भूमि
7	291/4/3	0.0500	निजी भूमि
8	352	0.0150	निजी भूमि
9	292/1/2	0.0065	निजी भूमि
10	292/1/3	0.0055	निजी भूमि

11	286/2/1	0.0170	निजी भूमि
12	286/2/3	0.0400	निजी भूमि
13	295/2/1	0.0100	निजी भूमि
14	289/1	0.0390	निजी भूमि
15	292/1/4	0.0045	निजी भूमि
16	289/3	0.0850	निजी भूमि
17	295/2/2	0.0100	निजी भूमि
18	286/1/1	0.0150	निजी भूमि
19	342/2	0.0050	निजी भूमि
20	286/1/3	0.0500	निजी भूमि
21	282/1	0.0550	निजी भूमि
22	365/2	0.0400	निजी भूमि
23	366/2	0.0500	निजी भूमि
24	364	0.0050	निजी भूमि
25	363	0.0300	निजी भूमि
26	281/1	0.0260	निजी भूमि
27	278/1	0.0260	निजी भूमि
28	277/1	0.0180	निजी भूमि
29	285/2/1	0.0230	निजी भूमि
30	276/1/1	0.0090	निजी भूमि
31	276/1/2	0.0060	निजी भूमि
32	276/1/3	0.0050	निजी भूमि
33	296/1	0.0230	निजी भूमि
34	353	0.0250	निजी भूमि
35	296/2	0.0230	निजी भूमि
36	367/2	0.0300	निजी भूमि
37	370/1	0.1300	निजी भूमि
	कुल रकवा :-	1.0850	

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि०मी०) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।

(3) भूमि का नक्शा (लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 0020/अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला — पन्ना
- (ख) तहसील — पन्ना
- (ग) ग्राम — कटरा, प.ह.नं. 025
- (घ) क्षेत्रफल — 8.421 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	296/1	0.369	निजी भूमि
2	293/1	0.020	निजी भूमि
3	294/1	0.093	निजी भूमि
4	292	0.360	निजी भूमि
5	286/1	0.940	निजी भूमि
6	287	0.150	निजी भूमि
7	289/1	0.130	निजी भूमि
8	324/1	0.640	निजी भूमि
9	309	1.900	निजी भूमि
10	308	0.505	निजी भूमि
11	295/1	0.264	निजी भूमि
12	298	0.250	निजी भूमि

13	288/1	0.100	निजी भूमि
14	302/1	0.270	निजी भूमि
15	302/2	0.090	निजी भूमि
16	303	0.100	निजी भूमि
17	304	0.200	निजी भूमि
18	305	0.080	निजी भूमि
19	326	1.380	निजी भूमि
20	312	0.480	निजी भूमि
21	310	0.100	निजी भूमि
	कुल रकवा :-	8.421	

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि0मी0) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवा) हेतु,

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 0013 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला — पन्ना
- (ख) तहसील — पन्ना
- (ग) ग्राम — तिलगवाँ, प.ह.नं. 025
- (घ) क्षेत्रफल — 1.210 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	1147/1	0.100	निजी भूमि
2	1145	0.170	निजी भूमि
3	1143/1	0.200	निजी भूमि
4	1142/1	0.720	निजी भूमि
5	1141	0.020	निजी भूमि
कुल रकवा :-		1.210	

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

ललितपुर—सतना, रीवा—सिंगरौली, महोबा—खजुराहो (541—कि०मी०) नई बड़ी रेलवे लाइन
निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवा) हेतु ,

{3} भूमि का नक्शा (लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
पन्ना में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 0027 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला — पन्ना
- (ख) तहसील — पन्ना
- (ग) ग्राम — जमुनहाईखुर्द, प.ह.नं. 025
- (घ) क्षेत्रफल — 1.510हेक्टेयर

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	12	0.400	निजी भूमि
2	13/1	0.030	निजी भूमि
3	28/4/1	0.130	निजी भूमि
4	73/4/1/1	0.200	निजी भूमि
5	73/4/2/1	0.200	निजी भूमि
6	73/4/3/1	0.200	निजी भूमि
7	73/4/4/1	0.190	निजी भूमि
8	4/2/1	0.160	निजी भूमि
कुल रकवा :-		1.510	

**शासकीय भूमि खसरा नम्बर-26 एवं 27 के जुज भाग पर स्थित कुल-37 मकानों
का रकवा—0.200हेटो (क्षेत्रफल—22117 वर्गफिट)**

क्रमांक	आवास धारक नाम/पिता/पति का नाम/पता	प्रभावित रकवा (वर्गफिट में)	रिमार्क
1	सुहावन पिता तम्मा गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	13 X 22=286 वर्गफिट	—
2	रवि पिता सोमन गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	26 X 10=260 वर्गफिट	—
3	अनिल पिता सोमन गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	13 X 22=286 वर्गफिट	—
4	विनोद पिता लखन गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	24 X 22=528 वर्गफिट	—
5	रामकली बेवा लखन गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	38 X 10=380 वर्गफिट	—
6	पृथ्वी पिता सोमन गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	38 X 10=380 वर्गफिट	—
7	जालम पिता लखन गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	30 X 10=300 वर्गफिट	—
8	हीरा बाई पति छुटबदा गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	42 X 20=840 वर्गफिट	—
9	प्रीतम पिता छुटबदा गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	22 X 10=220 वर्गफिट	—
10	दीपक पिता छुटबदा गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	23 X 11=253 वर्गफिट	—
11	भरत पिता शिवलाल गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	30 X 11=330 वर्गफिट	—
12	राजेश पिता सुखदेव गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	21 X 19=399 वर्गफिट	—
13	नथू पिता रमला गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	35 X 11=385 वर्गफिट	—
14	अशोक पिता नरेश गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	22 X 11=242 वर्गफिट	—
15	बिट्टू पिता नरेश गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	18 X 11=198 वर्गफिट	—
16	संतोषी पति रूपत गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	24 X 12=288 वर्गफिट	—
17	अमीर पिता शरीफ खान निवासी जमुनहाईखुर्द	36 X 13=468 वर्गफिट	—
18	तामस लाल पिता चूरामन गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	13 X 24=312 वर्गफिट	—
19	शिवकुमार पिता छुटईयां गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	23 X 25=575 वर्गफिट	—
20	गोलू पिता छुटईयां गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	14 X 10=140 वर्गफिट	—
21	हनमत पिता छुटईयां गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	12 X 10=120 वर्गफिट	—
22	राजमन पिता छुटईयां गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	25 X 16=400 वर्गफिट	—
23	जकरण पिता छुटईयां गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	22 X 25=550 वर्गफिट	—
24	छुटईयां पिता सुम्म गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	10 X 11=110 वर्गफिट	—
25	मुन्ना पिता सरजू गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	23 X 59=1357 वर्गफिट	—
26	राजेन्द्र पिता रामकुमार गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	27 X 21=567 वर्गफिट	—
27	प्रकाश पिता बहादुर गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	43 X 55=2365 वर्गफिट	—
28	समाजी पिता रमला गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	45 X 20=900 वर्गफिट	—
29	गोपीप्रसाद पिता रमला गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	45 X 20=900 वर्गफिट	—
30	उत्तम पिता नथू गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	45 X 20=900 वर्गफिट	—
31	बबलू पिता छुटईयां गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	22 X 10=220 वर्गफिट	—

/

32	भोले प्रसाद पिता भैयालाल गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	46 X 19=874 वर्गफिट	-
33	लखन पिता सुम्मेरा गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	40 X 35=1400 वर्गफिट	-
34	सुम्मेरा पिता रामनाथ गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द	15 X 32=480 वर्गफिट	-
35	इमरत पिता बद्दे यादव निवासी जमुनहाईखुर्द	31 X 32=992 वर्गफिट	-
36	जंगी पिता बद्दे यादव निवासी जमुनहाईखुर्द	31 X 32=992 वर्गफिट	-
37	रामप्रसाद पिता जंगी यादव निवासी जमुनहाईखुर्द	30 X 64=1920 वर्गफिट	अर्ध पक्का
	कुल हितग्राही/मकानों की संख्या-37	कुल क्षेत्रफल-22117 वर्गफिट	-

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि0मी0) नई बड़ी रेलवे लाइन
निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवे) हेतु,

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
एन्ना में किया जा सकता है।

पन्ना, दिनांक 2 जून 2023

प्रकरण क्रमांक 0030 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला — पन्ना
- (ख) तहसील — पन्ना
- (ग) ग्राम — सुनहरा, प.ह.नं. 022
- (घ) क्षेत्रफल — 3.7146हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	88/1/1/2/1	0.0010	निजी भूमि
2	88/1/2/1	0.0552	निजी भूमि
3	88/3/1	0.1204	निजी भूमि
4	88/2/3/1	0.0130	निजी भूमि
5	88/1/1/1/2	0.0660	निजी भूमि
6	88/2/6	0.0370	निजी भूमि
7	88/2/7	0.0370	निजी भूमि
8	88/2/8	0.0370	निजी भूमि
9	87/1/1	0.3540	निजी भूमि
10	87/2/1	0.0050	निजी भूमि
11	87/3/1	0.1390	निजी भूमि
12	87/2/2/2	0.1400	निजी भूमि
13	87/2/2/1/2	0.1400	निजी भूमि

14	87/2/2/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
15	87/2/2/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
16	87/2/2/1/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
17	87/2/2/1/1/1/1/1/2	0.0200	निजी भूमि
18	87/2/2/1/1/1/1/1/1/2	0.0200	निजी भूमि
19	87/2/2/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0200	निजी भूमि
20	87/2/2/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
21	87/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0200	निजी भूमि
22	86/2/1/1/1	0.4580	निजी भूमि
23	86/2/2/1	0.0210	निजी भूमि
24	86/1/1	0.2150	निजी भूमि
25	86/1/2	0.2870	निजी भूमि
26	85/2/1/1	0.0920	निजी भूमि
27	4/1	0.0430	निजी भूमि
28	5/1/1	0.0100	निजी भूमि
29	5/1/2	0.0100	निजी भूमि
30	5/1/3	0.0100	निजी भूमि
31	5/1/4	0.0100	निजी भूमि
32	5/1/5	0.0100	निजी भूमि
33	5/1/6	0.0100	निजी भूमि
34	5/1/7	0.0100	निजी भूमि
35	5/1/8	0.0100	निजी भूमि
36	5/1/9	0.0100	निजी भूमि
37	5/2/1	0.2840	निजी भूमि
38	33	0.0760	निजी भूमि
39	34/1/1	0.0140	निजी भूमि
40	34/2/1/1	0.0200	निजी भूमि
41	34/2/1/1/1/1	0.0390	निजी भूमि
42	34/2/1/1/2/1	0.0260	निजी भूमि
43	34/2/1/1/3/1	0.0240	निजी भूमि
44	34/2/1/1/4/1	0.0210	निजी भूमि
45	34/2/1/2/1	0.0190	निजी भूमि
46	34/2/3/1	0.0240	निजी भूमि
47	34/2/4/1	0.0260	निजी भूमि
48	34/2/5/1	0.0250	निजी भूमि
49	34/2/6/1	0.0250	निजी भूमि
50	34/2/7/1	0.0230	निजी भूमि

51	34/2/8/1	0.0260	निजी भूमि
52	34/2/9/1	0.0220	निजी भूमि
53	34/2/10/1	0.0210	निजी भूमि
54	44/1	0.0050	निजी भूमि
55	44/2	0.0280	निजी भूमि
56	44/3	0.0280	निजी भूमि
57	44/4	0.0280	निजी भूमि
58	43/2/1/1	0.0100	निजी भूमि
59	43/2/1/2	0.0050	निजी भूमि
60	43/2/2/1	0.0080	निजी भूमि
61	42/1/1/1	0.0110	निजी भूमि
62	45	0.0400	निजी भूमि
63	64/1/1/1/1	0.1880	निजी भूमि
64	79/2/1	0.1780	निजी भूमि
	कुल रकवा :-	3.7146	

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

ललितपुर—सतना, रीवा—सिंगराँली, महोबा—खजुराहो (541—कि०मी०) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवा) हेतु,

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 0026 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला — पन्ना
- (ख) तहसील — पन्ना
- (ग) ग्राम — जनकपुर, प.ह.नं. 023
- (घ) क्षेत्रफल — 7.2770हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	124/1/1	0.0360	निजी भूमि
2	129/1/1	0.2810	निजी भूमि
3	129/2/2	0.1440	निजी भूमि
4	142/1/1/1/1	0.2080	निजी भूमि
5	145/1	0.0550	निजी भूमि
6	146/1	0.6830	निजी भूमि
7	147/1	0.3820	निजी भूमि
8	148	0.7290	निजी भूमि
9	149	0.2350	निजी भूमि
10	150	0.3400	निजी भूमि
11	151	0.0610	निजी भूमि
12	156/2	0.0600	निजी भूमि
13	157	0.2200	निजी भूमि

14	158/1	0.0890	निजी भूमि
15	159/1	0.2800	निजी भूमि
16	159/2	0.4000	निजी भूमि
17	160/1/1	0.0500	निजी भूमि
18	160/2	0.1100	निजी भूमि
19	160/3	0.1500	निजी भूमि
20	160/4	0.1780	निजी भूमि
21	160/5	0.1600	निजी भूमि
22	200	0.1000	निजी भूमि
23	201/1	0.0400	निजी भूमि
24	201/2	0.2700	निजी भूमि
25	201/3/1	0.4030	निजी भूमि
26	203/1	0.2950	निजी भूमि
27	204	0.2100	निजी भूमि
28	205	0.1740	निजी भूमि
29	206	0.0700	निजी भूमि
30	208/2	0.2400	निजी भूमि
31	62/1/2/1/2/2	0.0200	निजी भूमि
32	62/1/2/1/3/1	0.0250	निजी भूमि
33	62/1/2/1/3/2	0.0250	निजी भूमि
34	62/1/2/1/4/1	0.0500	निजी भूमि
35	62/1/2/1/4/2	0.0500	निजी भूमि
36	62/1/2/1/5/2	0.1250	निजी भूमि
37	62/1/2/1/5/1	0.1250	निजी भूमि
38	112/2/1/48/2	0.0090	निजी भूमि
39	112/2/1/34	0.0090	निजी भूमि
40	112/2/1/48/1	0.0090	निजी भूमि
41	62/1/1/1/1/1/1/2	0.0040	निजी भूमि
42	141/1/1	0.1170	निजी भूमि
43	101/3	0.0100	निजी भूमि
44	101/2	0.0100	निजी भूमि
45	62/1/1/2/1/1/1/4	0.0140	निजी भूमि
46	62/1/1/2/1/1/1/1	0.0140	निजी भूमि
47	62/1/1/2/1/1/1/3	0.0080	निजी भूमि
कुल रकवा :-		7.2770	

- {2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
 ललितपुर—सतना, रीवा—सिंगरौली, महोबा—खजुराहो (541—कि0मी0) नई बड़ी
 रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवा) हेतु ।
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन
 अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 0028 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- | | | | |
|-----|-----------|---|-----------------------|
| (क) | जिला | — | पन्ना |
| (ख) | तहसील | — | देवेन्द्रनगर |
| (ग) | ग्राम | — | बड़ागाँव, प.ह.नं. 018 |
| (घ) | क्षेत्रफल | — | 10.7739हेक्टेयर, |

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	2771/1	0.0200	निजी भूमि
2	2772/1/1	0.0100	निजी भूमि
3	2772/1/2	0.0100	निजी भूमि
4	2772/1/3	0.0100	निजी भूमि
5	2772/1/4	0.0100	निजी भूमि
6	2772/1/5	0.0100	निजी भूमि
7	2780/1	0.0200	निजी भूमि
8	2781/1/1/1	0.2300	निजी भूमि
9	2781/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
10	2781/1/1/3	0.0100	निजी भूमि

11	2781/2/1	0.2500	निजी भूमि
12	2781/3/1	0.2500	निजी भूमि
13	2784/1	0.0200	निजी भूमि
14	2773/1	0.0400	निजी भूमि
15	1182/3	0.0900	निजी भूमि
16	1182/4/1	0.0400	निजी भूमि
17	1184/1/1	0.3400	निजी भूमि
18	1184/2/1	0.0900	निजी भूमि
19	1185/1/1	0.3800	निजी भूमि
20	1185/2/1	0.0400	निजी भूमि
21	1193/1	0.0800	निजी भूमि
22	1196/2/1	0.0800	निजी भूमि
23	1202/1	0.0800	निजी भूमि
24	2774/1	0.0670	निजी भूमि
25	2779/1/1	0.0350	निजी भूमि
26	608/1	0.1200	निजी भूमि
27	607/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	0.0100	निजी भूमि
28	607/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	0.0500	निजी भूमि
29	607/1/1/4/1	0.0050	निजी भूमि
30	607/3/1	0.0050	निजी भूमि
31	607/1/1/1/1/1/1/3	0.0100	निजी भूमि
32	607/1/2/1/2	0.0100	निजी भूमि
33	607/2/1/1/1	0.0300	निजी भूमि
34	607/2/1/10	0.0050	निजी भूमि
35	607/1/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
36	607/1/1/1/1/2/1	0.0060	निजी भूमि
37	607/2/1/1/4	0.0050	निजी भूमि
38	607/2/1/13	0.0050	निजी भूमि
39	607/2/1/1/3	0.0050	निजी भूमि
40	607/1/1/1/1/1/3	0.0150	निजी भूमि
41	607/1/1/1/1/1/3/1	0.0110	निजी भूमि
42	607/2/1/2	0.0050	निजी भूमि
43	607/1/2/1/1	0.0100	निजी भूमि
44	607/2/1/8	0.0050	निजी भूमि
45	607/1/1/1/1/1/1/3	0.0150	निजी भूमि

46	607/2/1/16	0.0050	निजी भूमि
47	607/2/1/14	0.0050	निजी भूमि
48	607/2/1/12	0.0050	निजी भूमि
49	607/2/1/3	0.0050	निजी भूमि
50	607/2/1/5	0.0050	निजी भूमि
51	607/2/1/1/6	0.0050	निजी भूमि
52	607/2/1/1/5	0.0050	निजी भूमि
53	607/1/1/3/1	0.0050	निजी भूमि
54	607/2/1/6	0.0050	निजी भूमि
55	607/2/1/15	0.0050	निजी भूमि
56	607/2/1/4	0.0050	निजी भूमि
57	607/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
58	607/1/1/1/1/1/2/1	0.0050	निजी भूमि
59	607/2/1/17	0.0050	निजी भूमि
60	607/1/1/1/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
61	607/1/1/1/1/1/1/2/1	0.0060	निजी भूमि
62	607/2/1/11	0.0050	निजी भूमि
63	607/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0030	निजी भूमि
64	607/1/1/1/1/1/1/3/1	0.0060	निजी भूमि
65	607/2/1/9	0.0050	निजी भूमि
66	607/2/1/7	0.0050	निजी भूमि
67	607/2/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
68	607/2/2	0.0050	निजी भूमि
69	607/2/3	0.0050	निजी भूमि
70	607/2/4	0.0050	निजी भूमि
71	607/2/5	0.0050	निजी भूमि
72	607/2/6	0.0050	निजी भूमि
73	607/3/2	0.0050	निजी भूमि
74	607/3/3	0.0050	निजी भूमि
75	606/1/1/1/1/8	0.0100	निजी भूमि
76	606/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
77	606/1/1/1/1/6	0.0100	निजी भूमि
78	606/1/1/1/3	0.0050	निजी भूमि
79	606/1/2	0.0100	निजी भूमि
80	606/1/1/1/1/13	0.0100	निजी भूमि
81	606/1/1/1/7	0.0050	निजी भूमि

82	606/1/1/1/1/5	0.0100	निजी भूमि
83	606/1/1/1/1/11	0.0100	निजी भूमि
84	606/1/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
85	606/1/1/1/1/8	0.0050	निजी भूमि
86	606/1/1/1/1/5	0.0050	निजी भूमि
87	606/1/1/1/1/10	0.0100	निजी भूमि
88	606/1/1/1/1/10	0.0050	निजी भूमि
89	606/1/1/1/1/4	0.0100	निजी भूमि
90	606/1/1/1/1/1	0.0600	निजी भूमि
91	606/1/1/1/1/3	0.0100	निजी भूमि
92	606/1/1/1/1/6	0.0050	निजी भूमि
93	606/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
94	606/1/1/1/1/9	0.0100	निजी भूमि
95	606/1/1/1/1/4	0.0050	निजी भूमि
96	606/1/1/1/1/12	0.0100	निजी भूमि
97	606/1/1/1/1/14	0.0100	निजी भूमि
98	606/1/1/1/1/7	0.0100	निजी भूमि
99	606/1/1/1/9	0.0050	निजी भूमि
100	600/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
101	600/1/1/1/1/3	0.0050	निजी भूमि
102	600/1/1/1/1/4	0.0050	निजी भूमि
103	600/2/1/1	0.1150	निजी भूमि
104	600/2/1/2	0.0050	निजी भूमि
105	600/2/1/3	0.0050	निजी भूमि
106	600/2/1/4	0.0050	निजी भूमि
107	600/1/1/1/1/1	0.0300	निजी भूमि
108	599/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
109	599/1/1/1/1/1/1/1/3	0.0050	निजी भूमि
110	599/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
111	599/1/1/1/3	0.0100	निजी भूमि
112	599/1/1/1/4	0.0100	निजी भूमि
113	598/2/1	0.1200	निजी भूमि
114	598/1/1	0.0900	निजी भूमि
115	597/1/1/1/1/1/1	0.0100	निजी भूमि
116	597/1/1/1/1/1/2	0.0051	निजी भूमि
117	597/1/1/1/1/10	0.0050	निजी भूमि

118	597/1/1/1/1/11	0.0050	निजी भूमि
119	597/1/1/1/1/12	0.0050	निजी भूमि
120	597/1/1/1/1/13	0.0050	निजी भूमि
121	597/1/1/1/1/14	0.0050	निजी भूमि
122	597/1/1/1/1/15	0.0050	निजी भूमि
123	597/1/1/1/1/16	0.0050	निजी भूमि
124	597/1/1/1/1/17	0.0050	निजी भूमि
125	597/1/1/1/1/18	0.0050	निजी भूमि
126	597/1/1/1/1/19	0.0050	निजी भूमि
127	597/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
128	597/1/1/1/1/20	0.0050	निजी भूमि
129	597/1/1/1/1/21	0.0050	निजी भूमि
130	597/1/1/1/1/22	0.0050	निजी भूमि
131	597/1/1/1/1/23	0.0050	निजी भूमि
132	597/1/1/1/1/24	0.0050	निजी भूमि
133	597/1/1/1/1/25	0.0050	निजी भूमि
134	597/1/1/1/1/3	0.0050	निजी भूमि
135	597/1/1/1/1/4	0.0050	निजी भूमि
136	597/1/1/1/1/5	0.0100	निजी भूमि
137	597/1/1/1/1/6	0.0100	निजी भूमि
138	597/1/1/1/1/7	0.0050	निजी भूमि
139	597/1/1/1/1/8	0.0050	निजी भूमि
140	597/1/1/1/1/9	0.0050	निजी भूमि
141	597/1/1/1/2/1/1/1/1	0.0198	निजी भूमि
142	597/1/1/1/2/10	0.0100	निजी भूमि
143	597/1/1/1/2/11	0.0100	निजी भूमि
144	597/1/1/1/2/12	0.0100	निजी भूमि
145	597/1/1/1/2/13	0.0100	निजी भूमि
146	597/1/1/1/2/14	0.0050	निजी भूमि
147	597/1/1/1/2/2	0.0050	निजी भूमि
148	597/1/1/1/2/3	0.0050	निजी भूमि
149	597/1/1/1/2/4	0.0050	निजी भूमि
150	597/1/1/1/2/5	0.0050	निजी भूमि
151	597/1/1/1/2/6	0.0050	निजी भूमि
152	597/1/1/1/2/7	0.0050	निजी भूमि
153	597/1/1/1/2/8	0.0050	निजी भूमि

154	597/1/1/1/2/9	0.0050	निजी भूमि
155	595/1	0.2500	निजी भूमि
156	594/1/1/1/1/1/1	0.1100	निजी भूमि
157	594/1/1/1/1/1/2	0.0040	निजी भूमि
158	594/1/1/1/1/1/3	0.0050	निजी भूमि
159	594/1/1/1/1/1/4	0.0050	निजी भूमि
160	594/1/1/1/1/1/5	0.0050	निजी भूमि
161	594/1/1/1/1/1/6	0.0050	निजी भूमि
162	594/1/1/1/1/1/7	0.0040	निजी भूमि
163	594/1/1/1/1/1/8	0.0040	निजी भूमि
164	594/1/1/1/1/1/9	0.0040	निजी भूमि
165	594/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
166	594/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
167	594/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
168	0594/1/2	0.0100	निजी भूमि
169	578/1/2	0.0050	निजी भूमि
170	578/1/2	0.0050	निजी भूमि
171	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
172	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
173	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
174	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
175	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
176	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
177	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
178	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
179	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
180	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
181	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
182	578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
183	578/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
184	578/1/1/1/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
185	578/1/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
186	578/1/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि

187	578/1/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
188	578/1/1/2	0.0100	निजी भूमि
189	578/2/1	0.8400	निजी भूमि
190	593/1/2	0.0060	निजी भूमि
191	593/1/3	0.0060	निजी भूमि
192	593/1/4	0.0060	निजी भूमि
193	593/1/5	0.0060	निजी भूमि
194	593/1/6	0.0060	निजी भूमि
195	593/1/1	0.0800	निजी भूमि
196	592/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
197	592/1/1/1/3	0.0050	निजी भूमि
198	592/1/1/1/4	0.0050	निजी भूमि
199	592/1/1/1/5	0.0050	निजी भूमि
200	592/1/1/1/6	0.0050	निजी भूमि
201	592/1/1/1/7	0.0050	निजी भूमि
202	592/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
203	592/1/1/1/1	0.0500	निजी भूमि
204	592/2/1	0.0800	निजी भूमि
205	726	0.0200	निजी भूमि
206	733/1	0.1100	निजी भूमि
207	733/2	0.1100	निजी भूमि
208	733/3	0.1100	निजी भूमि
209	728/1	0.2500	निजी भूमि
210	728/2	0.2600	निजी भूमि
211	2971/730/1	0.0700	निजी भूमि
212	729/1	0.1000	निजी भूमि
213	723	0.0800	निजी भूमि
214	1309/1	0.0500	निजी भूमि
215	1310/1/1	0.1100	निजी भूमि
216	1310/2/1	0.0300	निजी भूमि
217	1308/1/1	0.1700	निजी भूमि
218	1308/1/2	0.0195	निजी भूमि
219	1307/1/1	0.0600	निजी भूमि
220	1307/1/2	0.0883	निजी भूमि
221	1254/1	0.1200	निजी भूमि
222	1251/1	0.0600	निजी भूमि

223	1248	0.1600	निजी भूमि
224	1252/1	0.2800	निजी भूमि
225	1253/1/1/1	0.5500	निजी भूमि
226	1247/1	0.2400	निजी भूमि
227	1246	0.0400	निजी भूमि
228	1249/1/1	0.0400	निजी भूमि
229	1212/1	0.0900	निजी भूमि
230	1213	0.0400	निजी भूमि
231	1214	0.0800	निजी भूमि
232	1207/1	0.1890	निजी भूमि
233	1208/1	0.0100	निजी भूमि
234	1208/2/1	0.0300	निजी भूमि
235	1208/2/2	0.0200	निजी भूमि
236	1203/2/1	0.0100	निजी भूमि
237	1202/1	0.0900	निजी भूमि
238	1202/2/2	0.0700	निजी भूमि
239	1202/2/3	0.0700	निजी भूमि
240	1311/1	0.0300	निजी भूमि
241	1311/2	0.0300	निजी भूमि
242	617/1/1	0.0400	निजी भूमि
243	617/1/2	0.0050	निजी भूमि
244	617/1/3	0.0050	निजी भूमि
245	617/1/4	0.0050	निजी भूमि
246	617/1/5	0.0050	निजी भूमि
247	617/1/6	0.0050	निजी भूमि
248	617/1/7	0.0050	निजी भूमि
249	617/1/8	0.0050	निजी भूमि
250	617/1/9	0.0050	निजी भूमि
251	617/1/10	0.0050	निजी भूमि
252	605/1	0.0600	निजी भूमि
253	616/1	0.0500	निजी भूमि
254	616/2	0.0500	निजी भूमि
255	588/1/1/1/1	0.0200	निजी भूमि
256	588/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
257	588/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
258	588/1/1/3	0.0050	निजी भूमि

292	599/2/1/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
293	599/2/1/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
294	599/2/1/1/2	0.0050	निजी भूमि
295	599/2/1/2	0.0050	निजी भूमि
296	599/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	0.0150	निजी भूमि
297	1201/1	0.0100	निजी भूमि
298	1186/1/1	0.0100	निजी भूमि
299	2783/1/1/1	0.0100	निजी भूमि
300	2782/1	0.0050	निजी भूमि
301	605/1	0.0300	निजी भूमि
302	2962/557/1/1	0.0070	निजी भूमि
303	596	0.0050	निजी भूमि
304	732/1	0.0050	निजी भूमि
305	732/2	0.0050	निजी भूमि
306	1311/1	0.0050	निजी भूमि
307	1213	0.0400	निजी भूमि
308	597/1/1/1/2/1/2	0.0100	निजी भूमि
309	597/1/1/1/2/1/1/1/2	0.0101	निजी भूमि
310	597/1/1/1/2/1/1/2	0.0101	निजी भूमि
	कुल रकवा :-	10.7739	

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि0मी0) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-136-भू-अर्जन-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 2 जून 2023

प्रस्तुति V

(नियम 10 देखें)

घारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्वासनस्थापन घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

रा०मा० क. 02 / अ-82 / 2022-23 मौजा ग्राम- महगुंवा प.ह.नं.- 22 / 10 तहसील- करेली

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम महगुंवा नंब. 467 प.ह.नं. 22 / 10 तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में कुल 5.992 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 5.992 हेक्टेयर है ग्राम महगुंवा तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम - महगुंवा तह० करेली प.ह.नं. 22 / 10

स.क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	पूरनलाल वल्द विजयसिंह लोधी सा. समनापुर	भूमि स्वामी	2/1, 3/1	0.489
			3/2	0.621
2	वीरनसिंह वल्द विजयसिंह लोधी सा. समनापुर	भूमि स्वामी	2/2, 3/3	0.502
			4/1	
3	आशाबाई वल्द रूपसिंह लोधी सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	2/3, 3/4, 4/2	0.690
4	नन्हेलाल वल्द रतन ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	5	0.065
			7/1	0.428
			44	0.510
5	वड़ू वल्द रतन ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	7/2	0.197
6	लोटन वल्द रतन ढीमर सा. समनापुर	भूमि स्वामी	7/3	0.173
7	रामजी वल्द रतन ढीमर सा. समनापुर	भूमि स्वामी	7/4	0.173
8	पूरनलाल वीरनसिंह पिता विजयसिंह लोधी सा. समनापुर	भूमि स्वामी	8	0.567
			9	0.186
			10	0.194
			45	0.018
9	भागवती बाई पत्नि झब्बलाल ब्राह्मण सा. महगुवां करेली	भूमि स्वामी	12, 17	0.136
10	नन्हेलाल वल्द सदू, कुबेर, छोटेलाल पिता बलराम ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	36/2	0.009

11	राजेश वल्ड गोटीराम नौरिया, पिसीराम वल्ड नन्हेलाल नौरिया सा. समनापुर	भूमि स्वामी	43	0.121
12	मुन्नालाल वल्ड कल्याणसिंह मेहरा सा. सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	21	0.013
13	कल्यान वल्ड गोधन मेहरा सा.देह	भूमि स्वामी	68/3, 69/1,	0.223
14	उमराव वल्ड गोधन मेहरा सा.देह		70/1	
15	बसंत वल्ड गोधन मेहरा सा. देह	भूमि स्वामी	68/4, 69/2,	0.176
			70/2	
16	मानकुंवर बाई पति डोरीलाल मुन्नीबाई सुंदरबाई पिता डोरीलाल राधाबाई वेवा पंचन सुनील हुकम प्रीति पिता पंचन नन्हेलाल बलराम आशाबाई डोरीलाल राधाबाई वेवा पंचन नन्हेलाल बलराम आशाबाई पिता साधू ढीमर सा. महगुवां	भूमि स्वामी	74/1	0.116
17	बलराम नन्हेलाल पिता साधू ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	74/2	0.115
18	श्रीदेव लक्ष्मीनारायण जी सर. भागवती बाई ब्राह्मण सा. देह अध्यक्ष श्रीमान कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	75	0.026
	कुल योग			5.992

- 1 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- 2 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा.नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 54 दिनांक 09.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू— अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- 3 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- 4 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- 5 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.-153—भू—अर्जन—2023

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जून 2023

प्रलेप V
(नियम 10 देखें)

घारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन

रामा० क. ०९/अ-८२/२०२२-२३ मौजा ग्राम—गुरसी प.ह.नं.— १३/७ तहसील—करेली

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना एवं पुहंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गुरसी नंब. 141 प.ह.नं. १३/७ तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में कुल 2.934 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 2.934 हेक्टेयर है ग्राम गुरसी तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम — गुरसी तह० करेली प.ह.नं. १३/७

संक्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकमा है०
1	2	3	4	5
1	रामेश्वर वल्द केवलराम लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	103/10	0.161
			104	0.060
2	कमला वाई पति नरवर सिंह कृष्णपाल पिता नरवर सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	103/6	0.110
3	भूपेन्द्र कुमार मुल्लीवाई गीताबाई कलाबाई जीजीबाई पिता मिठू धोबी सा. देह	भूमि स्वामी	103/9	0.110
4	चौहान सिंह पिता नेतराम सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	102/3	0.085
5	रामपाल सिंह पिता मातवर सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	102/4	0.185
			100/2	0.245
6	हरिसिंह पिता मोहन सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	101/1	0.045
7	कमलेश पिता सुमेर सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	98	0.360
8	अनुराग सिंह पिता बलराम सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	268/2	0.220
9	हल्कीबाई पिता लीलाधर बाढ़ई सा. देह	भूमि स्वामी	269/1/1	0.008
10	हरिओम मोहन ना.बा. वल्द वली बलराम बाढ़ई सा. मगरधा नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	269/1/2	0.009
11	कल्याण सिंह वल्द किशनलाल बाढ़ई सा. करेली	भूमि स्वामी	269/4, 269/6	0.044
12	अंकित अंकिता ना.बा. वल्द तुलसीराम बली दादी हल्कीबाई बाढ़ई सा. देह	भूमि स्वामी	269/7	0.100
13	ताराबाई वल्द किशनलाल पति गेंदालाल बाढ़ई सा. देह	भूमि स्वामी	269/8	0.052

वतीबाई वल्द किशनलाल पति अबू बाढ़ई सा. देह	भूमि स्वामी	269/9	0.052
15 रामरानी उर्फ सोनाबाई वल्द किशनलाल पति देवेन्द्र बाढ़ई सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	269/10	0.032
16 अमित पिता ओमप्रकाश मेहरा सा. देह ग्राम नौकर	भूमि स्वामी	281	0.295
17 तुलसाबाई बेवा श्यामलाल रामप्रसाद जयंतीबाई ना.बा. वल्द श्यामलाल वली मां तुलसाबाई रजक सा. देह	भूमि स्वामी	282/1/2	0.096
18 राजबल सिंह पिता हल्के सिंह लोधी सा. धूरपुर	भूमि स्वामी	282/3	0.092
19 रामसिंह गिरीराज पिस. गोधन सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	282/4	0.132
20 राधाबाई बेवा छोटेलाल लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	283/2, 284/2, 298/3	0.140
21 मातवर सिंह वल्द छोटेलाल लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	283/4, 284/4, 298/5	0.180
22 रामसिंह वल्द गोधन सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	283/6, 284/6, 298/7	0.040
23 हल्कू उर्फ गिरीराज वल्द गोधन सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	283/7, 284/7, 298/8	0.081
कुल योग			2.934

- 1 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- 2 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा.नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 465 दिनांक 17.05.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू— अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- 3 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- 4 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पढ़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- 5 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.—155—भू—अर्जन—2023

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11)

रा०मा० क. 01 / अ-82 / 2023-24 मौजा ग्राम— सिमरिया खुर्द प.ह.न.-21, नं.बं. 141
तहसील— तेंदुखेडा

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये पंप हाउस एवं सडक निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये पंप हाउस व पहुंच मार्ग निर्माण कार्य । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : तेंदुखेडा |
| 3. ग्राम | : सिमरिया खुर्द |
| 4. प.ह.न. | : 21 |
| 5. नं.बं. | : 441 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 2.945 हे. |

अनूसूची 2

स.क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकमा हे०
1	2	3	4	5
1	हरभजन वल्द गनेश कहार सा. देह	भूमि स्वामी	97	0.180
2	उमाशंकर वल्द गनेश कहार सा. देह	भूमि स्वामी	88/2/1	0.090
3	तुलसीराम वल्द गनेश कहार सा. देह	भूमि स्वामी	88/2/2	0.090
4	चुन्नीलाल वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह	भूमि स्वामी	88/5	0.020
5	बालकिशन वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह	भूमि स्वामी	88/6	0.122
6	गोपाल वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह	भूमि स्वामी	88/1	0.123
7	सम्मरसिंह वल्द लोटन सिंह किरार सा. देह	भूमि स्वामी	100	0.324
			101	0.188
			102	0.240
8	रघुवीर तुलाराम पिता कुंजीलाल बारीवाई जोजे कुंजीलाल सुल्तान वल्द बैनी रामसिंह रामप्रसाद लैखराम पिता लोटन खरगो जोजे लोटन सुराजी बा. गोपाल ना.बा. पिता बलराम नर्बदी वाई पुत्री बलराम वली मां व खुद छुट्टीवाई मलाह सा. झिरी	भूमि स्वामी	103	1.050
9	खिल्लू वल्द टीकाराम सा. झिरी सेवा खातेदार ग्राम नौकर	भूमि स्वामी	105	0.004
10	कंछेदी भगवानदास परषोत्तमदास रूपसिंह पिता महादेव किरार गापाल वल्द नब्बू किरार सा. देह	भूमि स्वामी	118/4	0.120
11	गोपाल वल्द नब्बू किरार सा. देह	भूमि स्वामी	118/2	0.165
12	रतिराम वल्द नब्बू किरार सा. देह	भूमि स्वामी	118/6	0.165
13	श्रीदेव रामचंद्र जी मंदिर सिमरिया खुर्द कार्यकारी ट्रस्टी चुन्नीलाल वल्द किशोरीलाल , सहायक ट्रस्टी बालकराम वल्द किशोरीलाल पालीवाल सा. बारहा भूमि स्वामी जिला अध्यक्ष महोदया नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	121	0.064
	कुल योग			2.945

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा

नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्य/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.—157—भू—अर्जन—2023

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11)

रा०मा० क. 02 /अ-८२ /२०२३-२४ मौजा ग्राम— पिपरहा प.ह.नं.-१०/१९, नं.बं. ३३४
तहसील— करेली, जिला—नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-१ में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण कार्य ।
2. भूमि का विवरण
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : करेली |
| 3. ग्राम | : पिपरहा |
| 4. प.ह.न. | : 10 / 19 |
| 5. नं.बं. | : 334 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 2.474 हे. |

अनूसूची 2

स.क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकमा हे०
1	2	3	4	5
1	तेजराम रामसिंह हाकम नह्लेलाल गंगाबाई सुककीबाई पिता कढ़ोरी भारिया सा. देह	भूमि स्वामी	20/1	0.405
2	रूपसिंह वल्द लालसाहब भारिया सा. देह	भूमि स्वामी	18/1,	0.139
			19/1	0.089
3	दशरथ वल्द लालसाहब भारिया सा. देह	भूमि स्वामी	18/2	0.140
			19/2	0.089
			30/4	0.279
4	रामकली बेवा नर्मदा प्रसाद नेतराम सीताराम मालतीबाई पिता नर्मदा प्रसाद सा. घूरपुर	भूमि स्वामी	21/1	0.178
			21/2	0.062
5	हक्कीबाई बेवा श्रीराम राजेश संजू पिता श्रीराम, भानसिंह गोदावरी रमेशीबाई राजकली पिता खीरसिंह, सतीश कुमार वल्द पीतम जाति लोधी सा. घूरपुर	भूमि स्वामी	16/1	0.061
6	हक्कीबाई बेवा श्रीराम राजेश संजू पिता श्रीराम जाति लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	16/2	0.062
			17/2	0.149
7	धनवती जोजे रज्जू सिंह लोधी सा. ठेमी (शासकीय संस्था)	भूमि स्वामी	16/8	0.302
8	भानसिंह वल्द खीरसिंह लोधी सा. घूरपुर	भूमि स्वामी	17/1	0.259

9	यशोदा पटेल पति प्रकाशसिंह पटेल सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	17/3	0.060
10	तेजबल मायाबाई पिता टीकाराम लोधी सा. घूरपुर	भूमि स्वामी	2	0.080
11	मुन्नालाल वल्द लाल सिंह लोधी सा. घूरपुर	भूमि स्वामी	1/3	0.120
कुल योग				2.474

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ भोपाल दिनांक —एफ 16—15(7)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्य/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋजू बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.